FORM NO III

APP-A
Crim-1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम अजमेर

भीयाराम पुत्र सांवलराम जाति माली 1 बनाम श्रीमती शांति देवी उर्फ मगता प० मोहनलाल पुत्री भंवरलाल व अन्य

किस्म मुकदमा 225 आर.टी.एक्ट नम्बर 369 सन् 2018 ( )

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर 2018/00369 श्री भीयाराम चौ. श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
20.12.18	यह अपील श्री भींयाराम चौधरी एड़वोकेट ने उपखण्ड अधिकारी, दूदू के आदेश दिनांक 08.08.2016, प्रकरण संख्या 60/2016 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र पर बहस अभिभाषक अपीलांट की सुनी गई। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अभिभाषक अपीलांट के कथन एवं प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है। तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट की प्रार्थना पत्र स्थगन पर व अपील में बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि रिस्पोडेन्ट संख्या 01 ने ग्राम साखून तहसील दूदू में स्थित आराजी खसरा नम्बरान बाबत् एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राज.काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम के तहत् प्रस्तुंत किया और उसके साथ वाद के कथनानुसार एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 08.08.2016 को एक तरफा में आदेश पारित करते हुए अपीलांट जो कि रिकार्डेड खातेदार हैं को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया हैं जो विधि सम्मत नही हैं। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 08.08.2016 से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की हैं। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में बताया कि अपीलांट विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं और रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू ने विधि के सुस्थापित	लगातार

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

369/18/225 जगदीश बनाम श्रीमती शांति देवी

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर 2018/00369 श्री श्रीया राम चौ. श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
लगातार	प्रावधानों के विपरीत जाकर आक्षेपित आदेश दिनांक 08.08.2016 से रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश प्रदान किये हैं जो विधि सम्मत नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से दिनांक 08.08.2016 का अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी तत्पश्चात प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही हैं और उक्त प्रकरण सन् 2016 से आज तक मात्र तलबी हेतु नियत हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने विचारणीय न्यायालय के समक्ष तलबी हेतु ना तो कोई नोटिस पेश हुए और ना ही कोई तलबाना पेश हुआ। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायाललय द्वारा सम्पूर्ण आराजीयात बाबत् ही स्थगन आदेश जारी कर दिया हैं जो जाप्ता दीवानी के आदेश 39 नियम 4 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 08.08.2018 की पालना एवं क्रियान्विति ताफैसला अपील स्थगित की जावें या अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विधि सम्मत आदेश करने हेतु प्रतिप्रेषित की जावें। अभिभाषक अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवम् प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा धारा 212 राज.काश्तकारी अधि. एवं जाप्ता दीवानी के आदेश 39 नियम 3 ए के प्रावधानो के विपरीत वादग्रस्त आराजीयात पर एक पक्षीय रूप से बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही रेस्पोडेन्ट संख्या 04 व अपीलांट की आराजीयात को उनके अधिकारों से महरूम करने की नियत से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के हिस्से से अधिक पर अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया हैं जिसका निस्तारण निर्धारित समय से अधिक समय के उपरान्त भी निस्तारण नही कर लम्बित किया हुआ हैं जो प्रथमदृष्टया ही विधि सम्मत नहीं हैं। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वास्ते जवाब/बहस प्रार्थना पत्र हेतु नियत हैं एवं प्रकरण का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना इसलिए पक्षकारान के समय व आर्थिक व्ययता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अपील का इसी स्तर निस्तारण करना उचित समझते है। **अतः अपीलांट अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, विद्वान उपखण्ड अधिकारी दूदू को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधि. (अस्थायी निषेधाज्ञा) पर उभयपक्षकारा को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए एवं अपीलांट को प्रकरण में पक्षकार संयोजित कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के तीन महत्वपूर्ण बिन्दुओं प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का विवेचन कर, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर इस न्यायालय के आदेश से 30 दिवस माह में निस्तारण करें। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। मिसल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	